श्री राजनारायण: मैं चाहता हूं कि भविष्य की पीढ़ी इस वात को स्मरण रखे और इस सदन की साधु, सभ्य परम्परा आगे कायम रहे। इसलिए आज एक ऐसे विधेयक को बीच में रोककर जिस पर 4-5 आदमी बोल चुके हैं अन्य बातों को चलाने की चेयर ने जिस ढंग से इस सरकार को आज्ञा प्रवान की है उसके विरोध में मैं इस सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इसके बाद माननीय सदस्य श्री राजनारायण सभा से बाहर चले गए)

SHRI BHUPESH GUPTA: My freind, Mr. Rajnarain, has got some other job and he wants to go. Otherwise he would not walk out.

AN HON. MEMBER: He must be having some other work.

SHRI BHUPESH GUPTA: Don't say anything he will come back again.

THE MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS/IJj? T^Tf^ Jj 3<W'5fr (SHRI F. H. MOHSIN*: Sir I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of District Councils in the Hill Areas in the Union territories of Manipur, as passed by the Lok Sabha. be taken into consideration."

Sir. this measure which seeks. ..

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): The front bench is absolutely vacant. You must step into their shoes. The moment you get a chance you should step into the shoes of your seniors.

SHRI F. H. MOHSIN: Even from the rear...

SHRI BHUPESH GUPTA: I am sitting here always. But for you it is something, as you know.

SHRI F. H. MOHSIX Sir, this is a measure which seeks to provide for the establishment of local bodies in the form of District Councils in the hill areas of Manipur. As the House is aware, nine-tenths of Manipur is hilly area inhabited by Scheduled Tribe people and only one-third of the area is valley which is inhabited by non-tribal people. This Bill intends to provide for the establishment of District Councils so that the people in the tribal area can participate in the development of that area. Before explaining the provisions of this Bill I may briefly state the circumstances in which the reorganisation of the North Eastern region was contemplated by this Government. This matter was engaging the attention of (he Government since a long time and the Government is bringing in another measure providing for the reorgnisation of Assam. The Bill is already introduced in the other House and is under consideration today. It is on the agenda paper. The Bill provides for conferring statehood on Manipur and Tripura and the reorganisation of Assam by conferring, statehood on the present autonomous State ef Meghalaya making NEFA and the Mizo Hills District Union Territories. While examining this question we went into the problem or providing a co-ordinated approach to the development of security of the region and also to the special problems or the individual units which would emerge. To give effect to the concisions reached we intend to bring forward a number of measures and this Bill is a step in thai direction.

Sir, as I have already staled, the North-Eastern Areas Reorganization Bill, which will 1M- the next one, has already been introduced in the other House. This will be followed by a Constitution (Amendment) Bill and a Bill to amend the Government of Union Territories Act to provide for a Legislature for the Union territory of Mizoram, and certain other matters. A separate Bill will deal with the question of securing a co-ordinated approach to the development of the security of the region as whole

Sir, as provided in this Bill the Hill Areas will be divided into autonomous districts and a District Council will be constituted for each autonomous district. The elections to the District Councils would be on the basis of adult franchise lines. The District Councils would be on the lines of the former Territorial Councils

[Shrir. H. Mn..,in.1

with adequate executive powers. The District Council nil! have power to levy and collect taxes also, and lees like taxes on profes trades, callings and school fees. These Councils would also be competent to recommend legislation relating to mallei's like appointment or succession of Chiefs, inheritance of property and social customs in so far as rhey concern the in mbers Of the Scheduled Tribes. So it is with these intentions that the Bill has been brought before the House. 1 commend this for the consideration of this House.

The qwstion urns firojioserf.

श्रो निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मंत्री जी ने यह डिस्टिक्ट कौंसिल का जो बिल रखा है, ऐसा मालम पडता है कि यह इस समय अत्यन्त आवश्यक है। मणिपुर के चारों तरफ हम एक विशेष स्थिति में हैं इसके कारण जल्दी में यह बिल लाया गया है। हमारा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार का बिल अब से बहुत पहले ही यहां पर आ जाना चाहिए था। जब कभी इन प्रान्तों के इन हिस्सों में वहां की जनता कोई उपद्रव करती है और अपनी कुछ मांगे रखती है तो सर-कार उस पर पहले तो च्यी साधे रहती है और बहुत दिनों तक वह बराबर उसको टालती रहती है और जब वहां की स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है और जब वहां की स्थिति विगडने लगती है तब सरकार की नीद खलती है और सरकार उसके समाधान के लिए कोई बात सो चती है। इस बिल में ऐसा मालम पडता है कि सरकार अस-मंजस में पड़ गयी है और वह असमंजस यह है कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर को इतने अधिक अधिकार दे दिये हैं कि वहां की जनता शायद ही एडमिनिस्टेटर को इतने अधिक अधिकार देना स्वीकार करे। तीन, चार बातें हमें इस संबंध में ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मणिपूर का इलाका स्वयं ही भारत से अलग-थलग सा पडा हुआ सीमावर्तीय इलाका है और दूसरी बात यह है कि उस इलाके में जिसके विषय में हम यह विधान ला रहे हैं, वह एक

इस पहाडी के आस पास के प्रदेश के लोग, आसाम के और मीजो प्रदेश के लोग उनको भडकाने की वात कर सकते हैं। इन कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस बिल में ऐसी बातों का समावेश किया जाना चाहिए था जो वहां की इन आदि जातियों के लिए या वहां के बनवासियों के लिए जो विधान है उसमें फिट बैठतीं । उदाहरण के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को रखा है और एडमिनिस्टेटर को रखने के वाद इसके द्वारा वहां पर सारे कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर स्कूल हैं। तो स्कूल के सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था रखी है कि प्राइमरी स्कुल की देख-रेख, प्राइमरी स्कुल की पढ़ाई की देख-रेख जो है उसके ऊपर यह विचार करेगी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर एक प्रगतिशील राज्य हैं और वहां पर दूसरे राज्य वराबर लगे हुये है तो आपने यह व्यवस्था क्यों नहीं की कि हायर सेकेंडरी की शिक्षा तक के लिये वहां पर उन लोगों को अधिकार दिया जाय, कौंसिलरों को अधिकार दिया जाय और इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेटर को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो जहां तक अधिकार देने का प्रश्न है कौंसिलरों को वह केवल प्राइमरी स्कूलों तक का देगा । इसी तरह से आपने डिसपेंसरीज के बारे में बताया है परंतु वहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स वहां पर कौंसिलरों के अधिकार में दिया है छेकिन हमारा कहना है कि उनको यह भी अधिकार दे दिया जाना चाहिये था कि वहां जो डाक्टर्स हैं उनका वह अपनी इच्छान्सार तबादिला भी करना चाहें तो कर सकें और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कौंसिलर्स को यह अधिकार दे देते तो कोई गल्ती नहीं होती ।

तीसरी, इसमें एक और मजेदार बात है कि जिस किसी पूल या जहां किसी सड़क या जहां किसी बिल्डिंग की मरम्मत कराने के लिये या बनाने के लिये एडिमिनिस्ट्रेटर साहब उचित सम-झेंगे कि यह काम कौंसिल करे वही वह कर सकती पहाडी इलाका है, और तीसरी बात यह है कि | है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। वहां

पर यदि डिस्टिक्ट कौंसिल यह तय करती है कि हमको फलां रोड बनानी है या यह जो एक छोटा सा पुल है उसका बनाना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि आप नहीं कर सकते कोई दूसरा कर सकेगा तो फिर बहां डिस्टिक्ट कोंसिल और एडिमिनिस्टेटर में संघर्ष उत्पन्न होगा और इस संघर्षकी स्थिति में एड-मिनिस्टेटर जो कहेगा वही होगा और डिस्टिबट कौसिल को उसके लिये कोई अधिकार नहीं रहेगा। श्रीमन, आज नहीं, कम से कम दस वर्ष पहले कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव में यह बताया गया था कि पंचायती के लिए अधिक से अधिक अधिकार दिये जायें और उस प्रस्ताव में यह भी था कि धीरे बीरे क्रमण : उनके हाथ में न केवल अस्पताल या शिक्षा संस्थायें हों बल्कि उनके हाथ में बड़े बड़े काम, मेजर वर्कस भी हों और जैसे कि तबादले की वात है या पुलिस की चौकियों के इंतजाम की बात है, पिलस के थानेदारों के इंतजाम की बात है, यह सब उनको दे दिया जाय। हम समझते थे कि डिस्टिक्ट कौंसिल जो कि एक अच्छी कौंसिल के ह्य में यहां प्रतिष्ठापित की गई है उसके हाथ में अगर यह सब अधिकार दे दिया जाता तो जो कांग्रेस कमेटी का पुराना रेजोल्युशन था वह अपने आप चरितार्थं हो जाता और वहां पर उन लागों को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती लेकिन ऐसानहीं किया गया।

श्रीमन्, इसी के साथ बिल में एक सेक्शन है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से चुने जायेंगे और यह कि कौंसिल में 18 आदमी तक चुन करके और 2 नामिनेट करके भेजे जायेंगे अर्थात् एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में कुल 20 आदमी रहेंगे, ऐसा प्रावधान इस बिल में रखा गया है। अब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का एक क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और दूसरा क्षेत्र बहुत छोटा है तो भौगो- लिक कारणों से जो क्षेत्र बड़ा है उसके लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये था कि 20 से ज्यादा मेम्बसं नहीं हो सके वहां पर आवश्यकता के अनु-सार बहां की विशेष जातियों में से नुमाइंदिगी के

स्प में 20 से लेकर 24 या 30 सेम्बसं तक हों सकते थे तो इसमें किसी प्रकार का हुजं नहीं था। इसमें कानून के आधार पर जों एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ बांध दिया गया है वह भी गलत है, उसको यह अधिकार देना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर यदि चाहे तो अपने विवेक और डिसक्टिशन पर ज्यादा आदिमयों को भी नियुक्त कर सकता है लेकिन इस तरह का कोई अधिकार यहां पर नहीं दिया गया है।

अब इसके बाद जो दो प्रकार के टैक्स बह लगायेगी उन टैक्सों के बारे में अपील करने का जो अधिकार है बह भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के इच्छा के अनुसार रखा गया है इसमें यह धारा 39 है। धारा 39 में बताया गया है:

"In mailers connected with the assessment and Collection of any lax, or Tee levied under this Act, an appeal shall lie from the order of any person authorised in make

assessment or collections to such person as the Administrator may appoint or designate for the purpose."

तो इसमें यह है कि अगर कहीं पर शुक्क लगाया गया या प्रतिभार लगाया गया उसके बारे में अपील किसको करेंगे यह भी एडिमिनिस्ट्रेटर तय करेगा कि अपील किसको की जायगी। इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ अधिकार अगर किसी दूसरे को दिया गया है तो एग्जीक्युटिय मशीनरी ने फिर वही अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। चाहिये यह था कि अपील करने का जितना भी अधिकार है वह या तो डिस्ट्रिक्ट जब को देते या हाई कोर्ट को देते या और

किसी बाडी को देते लेकिन यह बाडी जुडी-भियल नेचर की होनी चाहिये थी। यहां पर एडिमिनिस्ट्रेटर जिसको चाहेगा उसको ही यह डिस्ट्रिक्ट काँसिल अपील कर सकती है या इसके जितने भी मेम्बर हैं, अपील कर मकते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है और इस तरह वहां पर जुडीशियरी को अलग रखने की [श्री निरंजन वर्मा]
जो प्रथा है वह अपने आप में गलत समझी गई,
ऐसा मालूम पड़ता है। इसका कोई स्पष्ट कारण
भी नहीं बताया गया कि एडिमिनिस्ट्रेटर को इतने
ब्यापक अधिकार क्यों दिए गए हैं। जब कोई
अपील होती है तो निद्यित रूप में बह जुडीशल
अथारिटी को ही जानी चाहिए और उसका निर्णय
ही लोगों को मान्य होता है। एकजीक्युटिव्ह
अथारिटी का निर्णय जनता बहुत करके पसन्द भी
नहीं करनी और न चाहती है।

इसी प्रकार, श्रीमन, इसके आठवें चैप्टर में धाराएं 51, 52 और 53 भी डिफेक्टिव्ह है। इसमें जो बाई-लाज बनाने के बारे में और रूल बनाने के बारे में है, उन अधिकारों में भी बहुत कम अधिकार वहां कींसिलों को दिए गए हैं, अधिकांश में, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने अधिकार बहुत ज्यादा रखे हैं और ऐसा मालुम पड़ता है कि शासन का मस्तिष्क, इस समय यहां जो बिल लाया गया है, इस समय वहां की एक विशेष परिस्थित की तरफ है और वह परि-स्थित शायद वहां की जितनी पहाडी इलाके की रहने वाली जनता है उनको एक दम अधिकार न दे दिए जाएं ताकि उन अधिकारों के कारण वह प्रदेश कभी हमसे वगावत कर सके। लेकिन हमारा खयाल है कि किन्हीं विशेष जातियों के अधिकारों पर, जिन अधिकारों को अच्छी तरह भोगने के लिए वे सक्षम है अगर उन अधिकारों पर अंकृण लगा दिया गया, अगर उन अधिकारों को रोका गया, तो उससे ही बगावत होने की संभावना हो सकती है और उनको जब उनके अधिकार विशेष रूप से नहीं मिलेंगे तो उनको उकसाने वाले, प्रोत्साहन देने बाले. उत्तेजना पहंचाने वाले बहुत से लोग इस देश में मौजद हैं। विशेष रूप से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिएं जो वहां के निवासियों की मनी-बांछित कामना को पूरी कर सके, वहां के लोगों में उससे उत्साह भी होता और भारतीय युनियन के प्रति उनका लगाव अधिक अच्छा होता, अगर वनको अधिक अधिकार मिल जाते।

श्रीमन, में एक बात और निवेदन करूंगा। जहां पर सोशल कस्टम्स का प्रश्न है वहां पर मणिपुरी लोग इस बारे में बहत प्रसिद्ध है लेकिन मणिपुर के जो पहाडी इलाके हैं वहां पर पहाडी जातियों के सोशल कस्टम्स विशेष रूप से रोचक हैं। तो उसके बारे में एडमिनिस्टेटर के अन्तर्गत इस प्रकार की कॉसिल बनानी चाहिए थी जो पहाडी इलाकों का डेबलपमेंट करने के लिए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का समय-समय पर विकास करती, उनके लिए अधिक क्षेत्र खला होता, ताकि वे अपनी संस्कृति को भारतवर्ष के अनेक स्थानों में प्रदर्शित करते। उसके बारे में यह विल विलक्त मौन है और कौंसिल को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और उन पहाड़ी इलाकों में जो सारी डिस्टिक्ट कोंसिलें वनेंगी उनकी भी एक बड़ी बाढ़ी बनाना चाहिए था, उनका एक संयुक्त तंत्र बनाना चाहिए था जिसके द्वारा वे सब काम हो सकते लेकिन इस प्रकार की कोई यनाइटेड बाडी नहीं है। उस वाडी के न होने की वजह से उन लोगों को अपने विकास के लिए पूरी तरह से ब्यापक क्षेत्र नहीं मिलेगा और उसके कारण वे हमेशा गति-रोध पैदा करने के लिए बराबर बगावत करते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता है कि उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगर आदरणीय मन्त्री जी इन सब बातों का इसमें समावेश या समाचान कर सकते तो बड़ा अच्छा होता।

श्री जीलभद्र याजी (विहार): माननीय डिपुटी वेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक का तहेदिल में समर्थन करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मणिपुर की जो 10 लाख की आबादी है, उसमें करीब एक-तिहाई भाग जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स—जैसे कूकी हैं, नागा हैं, माड़ हैं, पैते हैं, इत्यादि—उनकी अभिलापाओं की इस विधेयक के जिरए पूर्ति हुई है यद्यापि मैं चाहता था कि जब मणिपुर को स्टेटहुड मिल रहा है तो जो प्रान्तीय असेम्बली बनने वाली है उसमें उनकी 60 सीटें हैं जिसमें 19 सीटें हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स् को और एक सीट शेड्यूल्ड कास्ट की मिलने वाली हैं, वह

हो जाता। वर्माजी ने भी जिक्र किया, माना कि असेम्बर्ला से सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह बीमारी और फैलती जाएगी। और अतीत में जो आसाम की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनी थी तो उसके बाद आसाम का ट्टना श्रुक्त हुआ। अभी जो वर्मा जी ज्यादा अधिकार देने की बात कह रहे थे, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि ज्यादा चीखते-चीखते वह फिर ज्यादा होने लगती है। आपके यहां भी डिस्टिक्ट कौंसिल और जिला परिषदें हैं और जिला परिषदों को कौन सा अधिकार दिया जाता है? असेम्बली में कानुन बनते हैं और उन्हीं को उन्हें लागु करना होता है। अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि उन लोगों के दिलों में आशंका है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता है कि जो वहां के दोड्युल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो नागा लोग हैं, क्की लोग हैं, माड़ हैं तथा और भी जो लोग हैं, उन सबकी इच्छाधी कि आसाम के पैटर्न पर हमें भी डिस्ट्क्ट आटोनोमस कौंसिल दी जानी चाहिये। हम लोगों ने और वहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने कहा कि यहां के लोगों को डिस्ट्क्ट कॉसिल का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि वे लोग गांवों में अपने इलाकों का जो स्वायत्त शासन होता है अगर यह करना चाहते हैं तो वह अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरी राय यह है कि जितना इस विधेयक में अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि हम इसके अन्तर्गत रहते हैं, हमारे सुबे में 48 लाख के करीब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और अगर हम आसाम या मणिपुर की तरह नकल करने लगे तो हमारे बिहार के लिए खतरा पैदा हो जायेगा।

जहां हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद का जो निर्माण होता है वह विषमता को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो हमारे पददलित लीग हैं, बोडयुरुड टाइट्स के लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अंग्रेजों ने 6,000 मील दूर से रह करके इन लोगों के अन्दर बिलगाव की नीति पदा करने की कोशिश की, जबकि हमारी नीति

उनको आज इकट्ठा करने की है। अंग्रेजीं ने पादरियों को गेज कर और मिश्रनिरियों को उनके बीच में भेजा और उन्होंने बहां पर तरह-तरह के काम किये, लेकिन जो मणिपुर के रहने वाले हैं, आसाम के रहने वाले हैं. उनको उनसे दुर रखा जाता है। सरकार भी इस बात को मानती है कि जो वहां पर मिशनरी लोग हैं, वे तरह-तरह की बातें करते हैं, साजिश क्रते हैं और इस तरह से देश की सुरक्षा के लिए वे खतरे बने हए हैं। मूझे तकलीफ तो इस बात की होती है कि जो आसाम के लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वे जानते हैं कि मणिपूर वाले चाहे वे नागा हों, चाहे शेड्युल्ड टाइब्स के और जाति के लोग हों, उनका वंग एक ही है। वे नागा से अत्री बने हैं और क्षत्री से नागा बने हैं और इस तरह से उनका एक पुराना इतिहास है। मणिपुर का एक बहुत पुराना इतिहास है और वह पहिले एक अलग प्रान्त के रूप में रह चका है। उसकी एक भाषा है चाहे शेह्युल्ड ट्राइब्स, नागाज, क्कीज् मांड, लुसाई, पैते, इनका डाइलेक्ट भिन्त-भिन्त है, आपस में मिलने और घर में बोलने की शाया अलग-अलग है, लेकिन मणिपुर वालों की एक ही भाषा मणिपुरी है। यह जो लोग इस तरह की आवाज उठाते हैं, वे दूसरे सदन में उठाते हैं और मणिपुर के लोग नहीं उठाते हैं कि मणिपुर के नागा क्षेत्रों को नागालैंड में मिला दो। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे असलियत को नहीं पहिचानते हैं। जब पंत जी ने इस सम्बन्ध में जवाद दिया था तो उन्होंने कहा थाकि मणिपुर के जो लोग हैं उनकी संस्कृति एक है। यह जो लोग आपस में एक दूसरे के बीच में विलगाव की भावना उठाते हैं, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये । जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो डिस्ट्क्ट आटोनोमस कौंसिल होंगी उन्हें अपना शासन, अपना इंतजाम करने का और स्कूल चलाने का अधिकार होगा। जहां तक स्टेटहड का सवाल है, उसका विल आने वाला है और लोक सभा में वह पेश भी हो चुका है। त्रिपुरा और मणिपुर वालों की इच्छा थी कि उन्हें स्टेटहड दिया जाय और

[श्री शीलभद्र याजी]

सरकार ने उसकी इच्छाको कवल भी कर लिया है, क्योंकि वहां के लोग इस तरह की बात चाहते हैं और तब ही इस तरह का विधेयक आने वाला है जिस पर मुझे अभी बोलना नहीं है। एक बात से मैं सरकार को आगहा कर देना चाहता हूं कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट आटोनोमस कौंमिल है, उनको जो ज्यादा अधिकार देने की बात उठाई गई है उनको ज्यादा अधिकार न दिया जाय। वर्माजी वहां की परिस्थिति से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन अभी भी नागालैंड में, मणिपूर में, त्रिपरा में, मेघालय में एक विलगांव का तत्व है, उस तत्व से होशियार रहने की जरूरत है। उनकी असेम्बली आएगी जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। यदि ज्यादा अधिकार डिस्टिक्ट कौसिल को देने की बात की गई, जिसकी कि उनकी तरफ से भी मांग हुई है, तो मैं समझता हूं कि आइन्दा जब हम इस देश के 56 करोड़ वासिन्दों को एक करना चाहते हैं समाजवाद में, जिसमें ऊंच-नीच का और धर्म के आधार पर भेदभाव का विचार नहीं रहेगा, उस दिशा में जाते हए हमें इससे कठिनाई आएगी। मुझको कटु अनुभव है आसाम का, डिस्ट्रिक्ट कॉसिल आसाम की वन जाने के बाद फिर टुटी। जितना अधिकार दे रहे हैं, उससे ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं है। जब स्टेटहड मिलेगा तो सारे अधिकार मिलेंगे ही।

मनीपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको श्री निरंजन वर्मा जी ने प्रगतिशील कहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी कल-कारखाना नहीं है, रेल तक नहीं गई है। उनके दो मेम्बर हैं, उनकी आवाज नक्कारखाने में तुती की तरह है।

श्री निरंजन वर्मा: मैंने सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगतिशील कहा है।

श्री शिलभद्र याजी: नाचना-गाना प्रगतिशील है तो नाचना जानते हैं, गाना जानते हैं, लेकिन वहां तरक्की का कोई साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब स्टेटहुड मिल जायगा, खुदमुखतार हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वहां के लोग अपने क्षेत्र को सम्भालेंगे। अभी तो भारत सरकार बाहे मेघालय हो, मिजोराम हो, नागा-लंड हो, त्रिपुरा हो सबको रुपए देती है, उनका रेवेन्यू कुछ नहीं है, हमीं लोग देते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार आगे भी इसकी प्रगति की ओर ध्यान देगी तथा पहले की तरह रुपये देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक की ताईद करता हूं और मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह दरखास्त करूंगा और वर्मा जी से भी दरखास्त करूंगा कि जो उन्होंने विशेष अधिकार मांगने की वात कही है, वे अपनी मांग को वापस लें और जिस रूप में यह विल आया है उसको पास करें। जय हिन्द।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): उपसभा-पति जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हं। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों से मनीपुर की स्टेटहड की जो मांग थी उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस सम्बन्ध में एक दूसरा विधेयक अलग से लोक सभा में है और वह शायद आज पास हो जायगा। मान्यवर, साधारणतया मैं उन लोगों में से हूं जो छोटी-छोटी स्टेट्स के बनाने के पक्ष में नहीं हैं; क्योंकि बहुत छोटी स्टेट होने से उनका आर्थिक दिकास होना कठिन हो जाता है और वह एक भार बन जाता है देश के ऊपर और केन्द्रीय सरकार पर । लेकिन चुंकि एक विशेष परिस्थिति थी इन स्टेट्स की, चाहे वे मिजो की हो, नागाओं की हो, चाहे मनीपुर की हो, मेघालय की हो, चाहे त्रिपुरा की हो, ये बार्डर स्टेट्स है और यह सही बात है कि वहां के जो पहाडी लोग हैं, वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनकी अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने कस्टम्स हैं, जिनको वे कायम रखना चाहते हैं, उस दृष्टि से मैं इसका स्वागत करता हं और मेरी शुभ कामनाएं हैं कि वहां के लोग प्रगतिशील वर्ने, यह जो नई स्टेट है इसकी प्रगति हो और वह अपने सारे कस्टम्स, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को आगे बढाने में कामयाब हों।

श्रीमन्, जो डिस्ट्क्ट कौंसल बनी है, उस सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने दो-चार शब्द कहे और जो याजी जी ने भाषण दिया उन दोनों में काफी अन्तर दिखाई दिया। मैं यह समझता था कि जब आप किसी स्टेट को स्टेटहड देते हैं तो यह बात मान कर चलते हैं कि अधिक से अधिक शक्ति और अधिकार और ताकत वहां के नुमाइन्दों के हाथ में होगी और याजी जी ने जैसा कहा कि उनको ज्यादा अधिकार दे देना खतरनाक होगा, तां आम तौर से गवनंमेंट की तरफ से यह बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। क्योंकि उससे ऐसा आभास होता है कि हम उनके प्रति एक अविश्वास को लेकर चल रहे हैं। हमारे मन में डर है कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिन्द्स्तान से अलगाव चाहते हैं या हमारे पास से हटना चाहते हैं। इसलिए उनको कोई ताकत नहीं मिलनी चाहिए। मैं समझता हं कि यह अलगाव की बात जब पैदा होती है, जब कोई इंसान वेबसी की हालत में आ जाता है। अगर हम उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के उत्थान की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे इस तरफ का कोई डर अपने दिमाग में नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हं और मैं याजी जी से इत्तफाक करता हूं कि आटोनामी देते हुए भी हमारा जो सेंट्रेल आइडिया है, जो अंडरलाइंग आइडिया है वह यह होना चाहिए कि उनका एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन हो, क्योंकि जितने छोटे एरिया हम बांटते जाते हैं, उतनी ही सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी बढ़ती जाती हैं। तो इस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि आटोनामी दी जाय, लेकिन आटोनामी के साथ-साथ उन सबका एक इंटीग्रेशन भी हो जैसा याजी जी ने कहा कि वहां दस लाख की आबादी है, जिसमें 2/3 शेड्युल्ड टाइब्स हैं।

Maaxput {Hill Ar.

श्री शीलभद्र याजी : एरिया 2/3 है, शेड्युल्ड ट्राइब्स 1/3 हैं।

भी नवल किशोर : ठीक है, 1/3 उसके अन्दर शेड्यूड ट्राइब्स हैं, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वह दूसरा आसाम के पूनगंठन का बिल आयेगा तो उसमें मणिपुर के लिए 60

आदिमियों की, मेम्बरों की असम्बली बनाने की बात है। मुझे उम्मीद है कि उसमें उनकी आबादी के अनुपात से 1/3 सीटें उनको दे देंगे, लेकिन मेरा कहना यह था कि उनके नाम कुछ भी हों, लेकिन जब उनका स्टाक एक है तो उनमें इनहैरेंट इंटीग्रेशन है और इसको बनाए रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक छोटा सा स्टेट आपने बनाया है और जो डिस्ट्बट काँसिल बनायी है, उनका नाम तो आपने रखा है आटोनोमस, लेकिन जैसा कि वर्मा जी ने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस होता हैं कि आपने तो एड-मिनिस्टेटर को पावर्स बहुत दे दी हैं। हमारे यहां भी जो जिला परिषद है, आप कह सकते हैं कि उसका तो सालोंसाल में जाकर इतना डेवलपमेंट हुआ है, मगर जितनी पावर्स जिला परिषदों को हैं, आज वह पावसंभी उनको आप नहीं दे रहे हैं। तो मैं यह चाहता हं कि एडमिनिस्ट्रेटर की ताकतों की पुष्ठभूमि में ऐसा महसूस न हो कि आप डिस्टिक्ट कौंसिल को उसकी एक पपेट, एक कठपुतली बनाने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में काफी ताकते हैं और वह एडिमिनिस्ट्रेटर नियक्त होगा सरकार की ओर से, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम उनको पावर्स दे रहे हैं, आटोनामी दे रहे हैं और दूसरी तरफ एडमि-निस्टेटर को इतनी शक्ति दे रहे हैं कि कोई ताकत उनके पास, वहां की जनता के पास नहीं पहुंचेगी। मैं याजी जी म जानना चाहत। हं कि जब स्कूलों को चलाने का अधिकार आप उनको देरहे हैं तो अगर स्कलों के मास्टरों के ट्रांसफर का अधिकार भी कौंसिलों के हाथ में रहे तो क्या हर्ज की बात है ? सेनीटेशन है, अस्पताल है, वहां के स्कल हैं, यह सब प्रतिनिधियों के हाथ में हों। क्योंकि मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम वहां लोकल बाडीज बनाने जा रहे हैं. तो जो लोकल बाडीज हमारे प्रान्तों में है उनको जितने अधिकार हैं कम से कम उतने अधिकार देकर तो उनकी श्हात कीजिए । जब आपने उनको स्टेटहुड दे दी तो शक्ति भी देनी ही होगी। अब आप इस बान का इन्तजार करें कि वह कब

[श्री नवल किशोर] काबिल होंगे इससे काम नहीं चलेगा। उनसे तो असन्तोष बढेगा और बढता जाएगा।

Manipta mi Arms)

श्री शीलभद्र याजी : आन ए प्याइंट आफ इन्फार्मेशन । उन्होंने हमसे पुछा है कि एडमि-निस्ट्रेटर हमने बना दिया, जिसका जिक्र वह कर रहे हैं वह होता है म्यनिसिपेलिटी में, डिस्टिक्ट बोर्ड में, वहां तो एडमिनिस्टेटर से मतलब है, गवनंर का गवर्नर के नाम से सब काम होता है, लेकिन उसके साथ-प्राथ ही वहां तो चीफ मिनिस्टर रहेगा, मंत्रिमंडल रहेगा और वहां का गवनंर एडमिनिस्ट्रेटर कहलायेगा । यह एडमिनिस्ट्रेटर वैसा नहीं है जो लोकल बाडीज में होता है।

श्री नवल किशोर: मेरी दिक्कत यह है कि हमारे याजी जी तो उस पार्टी के मेम्बर है, उन-को सब पता रहताहै कि बह गवर्नर होगाया क्या होगा। लेकिन गवर्नर तो आपका एक कांस्टीट्यूणनल हैंड होता है स्टेट्स के अन्दर और अगर यहां एक एडिमिनिस्ट्रेटर गवनंर है तो गवर्नर को वह पावर देने जा रहे हैं जो कि इसरे स्टेटम में गवनंर को पावर नहीं है।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश): याजी जी तो शायद वहां गवर्नर होकर नहीं जा रहे हैं ?

श्री नवल किशोर: पीताम्बर दास जी को शक यह है कि कहीं याजी जी गवर्नर होकर वहां तो नहीं जा रहे हैं तो मेरा कहना है कि उनका कोई गवर्नर होकर जाने का इरादा नहीं है। खर, मेरे कहते का मत्या यह था, श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि डिस्ट्क्ट बौंसिल कही एक ब्युरोक्रोटिक सेट-अप न बन जाय, जिसमें नौकर-शाही के अलावा और किसी के हाथ में कोई ताकत न हो। यह बात सही है कि चौकि यह बार्डर स्टेट है, इसलिये सरकार को भी इसमें सतर्कता बरतनी है। लेकिन वह सतर्कता इस तरह से अधिकारों को न देने से नहीं बनेगी वह तो जो बार्डर विजिलेंस हैं और जो आपकी दूसरी एजेंसीज है उनको मजबूत करने से काम बनेगा।

श्रीमन, एक बात कह कर में अपनी बात खत्म करता हं। इसके अन्दर जो अधिकार बोर्ड को दिये गये हैं, कींसिल को दिये गये हैं, वह अगर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हैं तब तो बात दसरी है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक बैंकवर्ड एरिया में और नीयत यह हो कि आहिस्ता-आहिस्ता और पाबस देंगे तब तो ठीक है, एक्स-पेरिमेंट कीजिये, हमारी शक्षकामनाये आपके साध हैं। लेकिन जैसाकि बर्माजी ने कहा कि सभी डिस्ट्क्ट कौसिल में 18 आदमियों के चने जाने की बात है, मगर जो मैंने पढ़ा है उससे यह मालुम होता है कि 18 से ज्यादा संख्या नहीं होगी, लिखा हुआ है कि डिस्टिक्ट कौंसिल जो बनेगी उनमें चने हए लोगों की संख्या 18 से ज्यादा नहीं होगी, तो मुझे उप्मीद है कि डिस्टिबट कौसिल के एरिया को और उसके पापलेशन को देख कर यह संख्या वकं-आउट की जायेगी . . .

श्री शीलभद्र याकी : और दो नामिनेटेड होंगे।

श्री नवल किशोर: जी हां, 20 मैविसमम हैं। तों मेरा कहना है कि जो हिस्टिक्ट कौंसिल चनी जायगी, जो डिस्टिक्ट कौसिल बनेगी, उसमें इस बात का ध्यान एखा जायगा कि उनकी आवादी और उनके क्षेत्रफल के बाधार पर उनकी मेम्बर-ज़िय निर्धारित की जायगी, ऐसी मुझे आशा है।

मैं इसमें और ज्यादा कहना भी नहीं चाहता। जैसा कि कहा गया कि कुल दस लाख की आबादी है और हमारे यहां तो एक तहसील की आबादी दस लाख की होती है, तो उसके हिसाब से इतनी छोटी स्टेट बनाई गई है। लेकिन मुझे यह कहना है कि बहत दिनों से दिल्ली के हमारे कुछ साथी हैं जो कि बार-बार सरकार से यह दरखास्त करते रहे हैं कि उनके यहां भी एक स्टेट बनाई जाय। वैसे जैसा कि मैंने कहा मैं छोटी स्टेट के फेबर में नहीं हूं, बहरहाल वह स्टेट बनाई जाएँ या न बनाई जाय, लेकिन इतनी वात सही है कि आज दिल्ली में बहुत सी एजेंसीज हैं, आज इस कदर मल्टीपिन अवारिटीज दिल्ली के अन्दर काम

करती हैं कि कंपयूजन वर्स कंफाउंडेड है, तो स्टेट-हड उसको भी देना चाहिये या नहीं इसको बाद में तय करें। लेकिन इतना तो जरूर करना चाहिये कि जो भिन्त-भिन्त अथारिटीज काम कर रही हैं उनको इंटिग्रेट करें और एक दो अथारिटी में ही सारे मामले सीमित हो जाय तो यह वही अच्छी बात होगी । वैसे जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघा-लय की इतनी छोटी-छोटी स्टेट बना दी हैं तो दिल्ली की मांग को भी कहा तक रोक पायेंगे ? मैं समझता हं कि यह कहना बड़ा कठिन है।

श्री पीताम्बर दास : अगले इलेक्शन के बाद।

श्री नवल किशोर: आखिर स्टेटहड के लिये दिल्ली की काँसिल में एक मांग आई है तो मेरा कहना है कि जब आपने एक कदम इधर उठाया है तो दिल्ली की बात को भी आप सहानमृति के साथ विचार करियेगा।

श्रीमन, खैर में ज्यादा बहस में पहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी यह देखना है कि यह स्टेट जो बनी है वह आगे चल कर कैसाकाम करेगी और स्वयं मंत्री जी ने कहा है कि इस तरह के बहुत से मेजर्स, बहुत से कानन आहिस्ता-आहिस्ता लोक सभा और राज्य सभा के सामने आयेगे. आप स्वयं कहते हैं कि यह पहला कदम है, तो नो यह पहला कदम आपने उठाया है वह आपका मुबारक हो और आपके द्वारा में कहना चाहता हं कि मनीपुर की जनता को भी मुबारक हो और मैं उनको अपनी राभकामनायें देता है कि सही मामलों में जिस आदशं और जिस नीयत से उन्होंने यह मांग की थी वह उनकी नीयत पूरी हो सके और वह आगे बढ़ सके और यह जो 56 करोड़ की आबादी देश की है उसका एक अट्ट अंग वन कर, उसका एक इंटीग्रेटेड अंग बन कर वह देश के साथ देश की प्रगति में सहायक बनेंगे।

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम) : उपसभा-पति महोदय, सरकार कोई अच्छा काम करती भी है तो बहुत देर से और उस काम का जो फल लोगों की मिलना चाहिए वह आखिर तक मिलता नहीं और समस्या बढ़ती जाती है। मणिप्र के लोगों की काफी दिनों से मांग रही कि फल-पलेज्ड स्टेटहड उनको मिले, काफी उसके लिए लोगों को लड़ना पड़ा। आखिर में जाकर सरकार अभी मणिपर के स्टेटहड के बारे में कोई एक बिल ला रही है, उसके पहले वहां हिल एरियाज के आटो-नोमस कोंसिल का यह बिल है। जैसा याजी जीते पहले कहा था कि यह आटोनोमस काँसिस मणिपर का हो या पूरे आसाम इलाके का हो. इससे बिखराव का आंदोलन बढने का मौका है. संभावना है-यह याजी जी अभी बोले थे-लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि ठीक समय पर लोगों को कोई अधिकार देने से बिखराव की भावना नहीं वहती ।

जब हमने आजादी के बाद अपना संविधान बनाया था तो आसाम के पहाडी इलाके के लिए शेड्यूल 6 में प्राविजन रखा और शेड्यूल 6 में जो कुछ भी अधिकार पहाडी लोगों के लिए दिए गए थे, मैं यह दावे के साथ कहता है कि लोगों को वे अधिकार वहां नहीं मिले। शेड्युल 6 का पूरा अधिकार उस इलाके के सभी पहाड़ी लोगों को अगर मिलता तो शायद यह विखराव की भावना उस इलाके में नहीं आती इसी लिए मेरा फिर से यह कहना है कि पहाड में रहने वाले सभी लोगों को अधिकार देने से कोई खराबी नहीं होती है। लेकिन अगर वह अधिकार हम उन लोगों को ठीक समय पर न दें तो उससे विखराव का आंदोलन तेज होता है।

मणिपुरका बहुत छोटा सा इलाका है। मणिपुर का जो मैदानी इलाका है सिर्फ 700 वर्गमील का है, और मणिपुर का पहाडी इलाका 8.000 वर्ग भील है। उस 700 वर्ग भील मैदानी इलाके में जो मणिपुर की कुल आबादी 10 लाख की है, उसके दो-तिहाई लोग रहते हैं और एक-तिहाई लोग 8,000 वर्ग मील पहाडी इलाके में है जो बहुत फैला हुआ है और उसमें बहत से लोग ऐसे हैं जो शौक से वहां आए हैं। जहां तक ट्राइबल बैलफ्येयर की बात है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जहां तक

Manipur (Hill A

[श्री गोलाप बरबोरा] पिछडेपन का सवाल है, तो चाहे मणिपुर के मैदानी इलाके के लोग हों या पहाड़ी लोग हों, सब लोग बहत पिछडे हुए है। इसी लिए मणिपुर को स्टेटहड मिल जाएगी तो मणिपुर के डेवलप-मेन्ट के लिए काफी कोशिश आपकी केन्द्रीय सर-कार को करनी है और साथ ही साथ वहां का जो पहाड़ी इलाका हैं, उस पहाड़ी इलाके का डेवलप-मेन्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था आपको करनी है। लेकिन इस बिल में आप जो कुछ भी रखते हैं, मुझे इसमें शक है कि ऐसा करके वहां के लोग कोई आगे नहीं बढ़ पायेंगे। वैसे तो प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की बात लोग करते हैं--हम लोग भी करते हैं, लेकिन आज हमने देख लिया है कि मैदानी इलाके में, चाहे आसाम में हो, या हिन्दुस्तान के कोई भी प्रान्त में हो जो पंचायत या जिला परिषद वगैरह है, उनको पूरा अधिकार नहीं है। बहुत कम जिला परिषद् के अध्यक्ष ऐसे होंगे, बहुत कम ब्लाक एरिया के ऐसे अध्यक्ष होंगे जो कि गवनमेंट की तरफ से एडिंग-निस्टेटर हैं या एग्जीक्युटिव आफिसर या प्रोजेक्ट आफिसर वगैरह हैं, उन लोगों के विरोध में कोई काम कर सकता है। तो यह जो पैरेलल गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टस का और निर्वाचित प्रति-निधियों को चलाने का जो तरीका है, यह हमने देख लिए हैं कि मैंदानी इलाके में भी कभी काम-याब नहीं हुआ है। मैदानी इलाके में भी जो पंचायत की व्यवस्था है, उस पंचायत को भी अधि-कार नहीं है और ऐसी हालत में मणिपुर के पहाडी इलाके में जो आप ये कौंसिल बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि पहले तो एडिमिनिस्ट्रेटर की पावर बहुत ज्यादा है और यह एडिमिनिस्ट्रेटर इस बिल में रखने में मुझे एक और शक होता है कि जो दसरा बिल ला रहे हैं मणिपुर की स्टेटहड के बारे में, वह स्टेटहड मिलने के बाद भी मणिपुर के लोगों को कहां तक डेमोकेटिक रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा ? वैसी अगर कोई चीज है और मणिपर को स्टेटहड मिल जाने के बाद जल्दी चनाव करके कोई सरकार बनाने का इरादा अगर सरकार का है तो इस बिल में एडमिनिस्ट्रेटर साहब को रखने

की कोई जरूरत नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में काफी पावर है। जो कौंसिल है उसमें 18 तो इलेक्टेड मेम्बर होंगे और दो नामिनेटेड होंगे और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव आफिसर भी रहेगा । जिन लोगों को नामिनेट किया जायेगा के एग्जीक्यटिव आफिसर की मर्जीपरकाम करेंगे। एग्जीक्यटिव आफिसर कौन लोग होंगे ? वे भी हम देखते हैं कि इस तरह के लोग होते हैं जिन लोगों को पहाडी लोगों की संस्कृति के बारे में, उनके जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। उनको न उस क्षेत्र के **डेवलपमेंट के बारे में** कोई दिलचस्पी होती है और न वे इस ओर ज्यादा ध्यान ही देते हैं। अगर आप इस बिल के अन्तर्गत वहां के पहाडी लोगों को अधिकार देते तो बहत अच्छा होता । फिर भी मैं साधारण तौर से इस विल का समर्थन करता है।

.UK I E. M. SANGMA Deputy Chairman, I Fully appreciate the intention of the Government of India for it has In. ward lo give District Councils in the Union territories of Manipur. I do not have so much knowledge about Manipur as Mr. Yajee I had stayed in Manipur for a number of Jays last year, I could learn something about Manipur. Now the main question is about giving Councils to the hill areas of Manipur, ihe hill areas which are around the plain area of Manipur where a bigger nm of population resides. 1 have gone through the Bill and I find that this will go all right to start with. That much I can say that it will be all right to start with, but what I could parsonally learn from tin- people of Manipur— as Scheduled Tribes they are—that they are not satisfied with the present administration in Manipur. This can be compared to the State of Assam. The undivided State of Assam is composed of several tribes. Now the state of Assam has been si iced into many pieces. One pari has become Nagaland, the other one will become Mizoram Union Territory, then there is Meghalaya which is my District. Then Caro Mills and Khasi and Jainlia Hills will befullfledged Slate where the people belonging to the Scheduled Tribe-, live. I do not know whether by giving the District Councils full satisfaction can be given to the people, to the Scheduled Tribe people living in the Hill Areas of Manipur. Sal Isfaction can be given only when

full autonomy to the maximum extent possible is given to them to function as they like at least tor their developmental activities, for their educational facilities and such other dungs like service facilities etc.

When I go through this Bill, 1 find that the functions of the District Council as envisaged in this Bill, are, according to me, not so very satisfactory. In our districts in Assam, now in Meghahya, Mikir and Caehar hills and in Mizoram, the Councils have wider scope for running the administration by the District •Councils but even then the people living in these areas did not feel satisfied and dema vehemently separate States. Now we are having Meghalaya for our Garo, Khasi and Jaintia Hills and Nfizorain will be getting a Union Territory and NEFA is excluded from Assam. So I appeal to my fellow tribals living in the Union Territory of Mauipur that when they get this District Council for themselves they must fee! satisfied and do things for themselves without fear or favour ami be absolutely free from corruption because my sad experience in my District Council is, corruption has become a dominant feature by the District Council authorities taking advantage of their own administration, and the backwardness of their people, thereby hampering our progress to a great extent. It is now about 19 yea! we have had District Councils in our districts but the condition or the people still remains the same because of corruption. We will 1"- getting now Meghalaya Slate and there again corruption is still being committed by our own tribals. So my appeal to the tribals in Mauipur is that when they get the District Council lor themselves they should be free from corruption. They must absolutely aim at development activities for their children and it is my appeal to the tribals in Mampur and I do hope daey will proceed like that. With these few words, I also accept and support this Bill.

SHRI GHITTA BASU (West Bengal): The Bill envisages the creation of autonomous districts and the object appears to be that there should be further extension of autonomy. If that is the intention, then we will have to see to what extent the autonomy has been extended I do not like to take your time, I find there are three tiers ; that is, at the top there is die Administrator, then there is the Executive Officer and then there is the District Council. The District Councils, so far as the functions

and purpose for which they arc meant, have got only advisory capacity. They can merely giv< certain advice and whether it is acted upon or not depends on the Administrator on the one hand and the Deputy Commissioner on the. other. I do not know what is the relation between die powers of the Deputy Commissioner and the Administrator. You will find that any proposal for taxation cannot be imposed unless it has the previous sanction of the Administrator. Even if a decision has been taken by the Council at a specially convened meeting for adoption or abolition of any tax, it cannot be implemented unless the previous approval is there from the Administrator. Again I find the Executive Officer who is the main executive body is not responsible to the District Council. He is responsible, by virtue of his appointment, to the Administrator. So there is no executive power for the Council. Again I find the Deputy Commissioner has the right even to issue instructions in the matter of preparation of syllabus, textbooks fur the schools etc. Il says:

Che Deputy Commissioner shall have the power to give to any District Council all such directions as he may consider necessary in respect of subjects, curricula, textbooks

iandanh of teaching in schools vested wholly or partly in the Councils; and in schools wholly or partly maintained by nts payable from the Council Fund and the Council hall comply with such direc-

SD even in tin matter of educational curriculum, even in the matter of selecting textbooks or subjec is to be taught in the private schools the power is vested in the Deputy Commissioner. Therefore my objection is, this is not an extension of autonomy; it is a miscon-d idea of extension of autonomy. I should be allowed to say that this is an extension of ruling party there so as to fan out and extend their power to the hill region. That is the only purpose and that purpose can be fulfilled by this Bill by extending the power of the ruling party to the far-flung hill areas.

SHRI P. H. MOHSIN: I am very much thankful to the Members who have taken part in this deflate. At the outset I must say that this Bill has been modelled on the lines of the Territorial Council Act of 1956 and many of the provisions from that Act have been taken into this Bill. Hon. Members have laid stress

[Shri I'. IT. Mohshi] on the powers of the Administrator, and the appointment of the Administrator. The Administrator will be appointed under die provisions of Article 239 of the Constitution. That provision is:

"Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify."

SHRI GOLAP BARBORA: Iris going to be a State

SHRI F. H. MOHSIN: Manipur is going to be a State; that Bill is coming afterwards. Further on article 239 says:

"Notwithstanding anything contained in Part VI, the President may appoint the Governor of a State as the administrator of an adjoining Union territory, and where a Governor is so appointed he shall exercise his functions as such administrator independently of his Council of Ministers."

SHRI CHITTA BASU: Council of Ministers?

SHRI F. H. MOHSIN: That is the provi-sion of the Constitution.

SHRI CHITTA BASU: The Governors act on the advice of the Council or Ministers and in this case that advice_

SHRI F. H. MOHSIN: The Administrator is appointed under article 239 and that I have read out. Hon. Members have spoken about the vast powers that have been given to the Administrator, the Deputy Commissioner, Chief Executive Officer and so on. I would only say that the elected representatives of those areas, the hill areas and the valley, who are there in the Lok Sabha have supported the provisions of this Bill. They have not suggested jany curtailment of these powers : they are quite happy with the provisions as they are. "In fact this has been drafted in consultation with those representatives and this Bill was passed in the other House as was drafted earlier except for a small amendment by which the nominated Members in clause 4 were reduced

from (our to two and the elected Members were raised from 16 to 18. With this small amendment tin whole Bill was accepted by the Members representing that area: especially when the Member.-; who represent the tribal people wholeheartedly supported this Hill and I do not find any reason why there should be.

SHRI GOLAP BARBORA: Because of the party,

SHRI F. H. MOHSIN: In fact the Bill hasbeen drafted in consultation with the leaders of the hill area and I must say that the provisions that are contained here are quite up te> the expectations of the people of the hill ana As 1 have already slated, another Bill confer--ring Statehood on Manipur and Tripura and reorganising Assam conferring Statehood on Meglmlaya and creating Union territories of NEFA end Mizo Hills will soon be (inning up

1 may briefly refer to the important provisions of this Bill. Clauses 14 and 22: they are just similar to the former Act, that is, the Territorial Councils Act, 1956. Also Clauses 23 to 26. They deal with the appointment of the Chairman, the Vice-Chairman and the members, and other matters. They are also taken from the Territorial Councils Act. Clause 29 is a very important clause in this Bill, Sir. It provieles for all the functions of the District Councils, and I might draw the attention of lion. Members to sub-clause (2) of this Clause which reads-

"It shall be competent for a District Council to recommend to the Government of the Union territory of Manipur legislation relating to the following matters in so far as they concern members of the Scheduled Tribes, namely :-

> (a) appointment or succession pi

Chiefs:

- (b) inheritance of property:
- (c) Marriage and divorce; and
- (d) Social customs."

SHRI CHITTA BASU: Only four subjects.

SHRI F.H. MOHSIN: Yes. After all, this is not a legislative body. These are all District Councils but yei these powers have been given to the District Councils to recommend legislation as regards these four subjects. So, this goes a long way in giving more powers to the District Councils.

SHRI CHITTA BASU: I raised a point about the condition laid down for the prior approval of the Administrator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions please.

SHRI. CHITTA BASU: Just a clarification. It is laid down that the District Councils may by a resolution recommend something in respect of some subjects. Does it also require the prior approval of the Administrator or the Deputy Commissioner .

SHRIF. H. MOHSIN: Yes, of course, if the rules provide as such; they also, but these provisions have all been drafted consultation with the people from that area.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): It would be good if they are called to help die Mi in explaining why these have been provided

SHRI F. H. MOHSIN; Members said that the Chief Executive Officer also is a very powerful officer under this Bill. I may draw the attention ofhon. Members to sub-clati of clause 32 which reads as follows:

"If a resolution for removal of the Chief Executive Officer is passed at a meeting of die District Council by a majority of

han two-thirds of the total membership of the Council, ih.' Administrator shall remove him forthwith."

So, this power is given to the District Council. If they pass a resolution by a two-thirds majority and recommend it to the Administrator, I think the Administrator will take a very serious view of such a resolution and will take ii .MI that.

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): मैंडेटरी सो नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is mandatory, and he shall be removed forthwith.

श्री मान सिंह बर्मा: श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आखिर डिस्टिक्ट काँसिल के अधिकार में क्या रह गया. उसने जो रिकमेंडेशन की उसको एडमिनिस्ट्रेटर माने या न माने, उसके ऊपर मैंडेंटरी नहीं है, तो फिर उसका अधिकार क्या रह गया! उसकी आटोनोमस पावर कैसे हो गई ?

SHRI E. H. MOHSIN: All the functions of the District Councils are mentioned in Clause 29, and the lion. Member may go through Clause 29 wherein all the functions have been mentioned in this Clause 29.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; The people of that area are satisfied with whatever powers have been given under this Bill.

SHRI MAHAVIR TV AC I (Uttar Pradesh): I would like to know who will foot the bill because, after all, these District Councils, etc., they all involve expenditure. Will they stand on their own legs? Will their revenue accrue to the extent of footing their bill? If there is a it, who will meet that deficit?

SHRI F.H. MOHSIN: The power has been given to the District Councils to levy taxes, and they v mild levy taxes also.

SHRI MAHAVIR TYAGI: Will they levy taxes with which to meet all their expenditure? In that case they will stand on their own legs. 1 want to know whether financially there will a deficit in these District Councils, and if there would be a deficit, will that be met by the State Governmeni and/or by the Central ','i r, eminent.

SHRI F. H. MOHSIN: Anyway. I can say that these may not be economically viable units and some assistance will have to be given at the Slatilevel and at the Central level also. They will be given Statehood but I do admit that they will noi be economically viable units and assistance may have to be given at all stages. After all, '. may say that this is a step in the right direction giving more powers to> i the hilly areas, so that they can take an active I part in the developmental activities of their own.

I Shri F. II. Mohsin] tracts. The hilly areas will be divided into not more than six districts and each district will have a District Council. I do hope that the people in that part will play a greater role in the development of the hilly areas to the satisfaction of the people at large. I commend the Bill for the acceptance of the House

Asian Refractories Ltd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of District Councils in the Hill Areas in the Union Territories of Manipur, as passed by rhe Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall how take up the clause by clause consideration of the

Clause 2 to 53 were added to the Bill.

Clavse 1, the Enacting Formula and Ihe Title wire added to the Bill.

SHRI E. H. MOHSIN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was

adopted.

SHRI CHITTA BASU: We can adjourn now

THE MINISTER OF STATE IN Till', DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY **AFFAIRS**

संसदीय कार्य-विभाग में राज्य मंत्री

(SHRI OM MEHTA): The Minister is busy in the other House and after that he would be coming here immediately. He will make a statement in this House al o.

MR. DEPUTY CHAIRMAN-. Mill that time we can continue with this busin'

THE ASIAN REFRACTORIES LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL,

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES/

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

SHRI

SHAH NAWAZ KHAN): Sir, I beg to movc:

"That the Bill to provide for the acquisition of the undertakings of the Asian Refractories Limited for the purpose of augmenting supplies of refractories to meet the essential requirements of the iron and steel industry as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The need to acquire this plant has arisen out of the fact that the total production of refractories in the country is inadequate and insufficient to meet the essential requirements of the iron and steel industry in the .country. This plant was acquired by a Presidential Ordinance to augment the supplies of refractories and to speedily bring it into operation. It has been closed since June, 19G8. It is also proposed, at a later stage, to expand the existing capacity. This Bill seeks to replace the Ordinance and, with your permission, I would like to place before the House some more details regarding its acquisition and also the background "leading to it. The Asian Refractories have a licensed capacity of approximately 30,000 tonnes per year. They went into commercial operation in 19CG, but due to certain reasons they incurred heavy losses and they had to close down. For starting this plant they had to borrow a substantial amount from the Industrial Finance Corporation. As on December, 1970 the outstanding dues from this com-pany were of the order of about Rs. 80 to Rs. 82 lakhs. Sir, since this plant was not functioning very satisfactorily certain creditors went to the court and wanted it to be auctioned. The court permitted and an offer of about Rs. 70 lakhs was made. Later on the United Bank, from whom they had taken the loan, also went to the court and sought their permission to-secure higher ofTer. The court gave them the permission and later on, the Eastern Spining Mills offered Rs. 78 lakhs. The Eastern Spinning Mills is one of the Birla concerns....

SHRI JOACHIM AIA'A (Nominated): Where did they get so much money from?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, section 26, they could not be allowed to take over this plant. In the meantime tremen-^ dous shortage of refractories we felt. We